



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 नवम्बर, 2020

कार्तिक 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1246/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(156)-2020

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-436

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 46 के छठवें परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 429/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) प्रथम पैराग्राफ में, शब्द "एक वित्तीय वर्ष" के स्थान पर शब्द और अंक "2017-18 से किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" रख दिये जाएंगे;

(ii) द्वितीय पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द "1 अक्टूबर, 2020" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "1 दिसम्बर, 2020" रख दिये जाएंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1246/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(156)-2020, dated November 2, 2020 :

No. 1246/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(156)-2020

Dated Lucknow, November 2, 2020

In exercise of the powers conferred by sixth proviso to rule 46 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification no. 429/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(107)-2020, dated April 30, 2020 :-

In the said notification,-

(i) in the first paragraph, *for* the words "a financial year", the words and figures "any preceding financial year from 2017-18 onwards" shall be *substituted*;

(ii) in the second paragraph, *for* the figures, letters and words "1st day of October, 2020", the figures, letters and words "1st day of December, 2020" shall be *substituted*.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 523 राजपत्र-2020-(1092)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 58 सा० राज्य कर-2020-(1093)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।